ग्राम पंचायत ठठ्ल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ठठ्ल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अमन ज्योति	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01.04.2024 से 07.01.2025 तक
2.	श्री जसवंत सिंह	08.01.2025 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ठठ्ल के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये 255 के	255

		अन्तर बारे।	
2)	4.3	स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना।	3.81
3)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	38.94
4)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.17
5)	8	गृहकर / शादी पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग।	0.28
6)	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना।	2.85
7)	9.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय।	0.75
8)	9.3	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना।	0.51
9)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.60

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

ग्राम पंचायत ठठ्ल के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा- 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 221155 दिनांक 18.11.2017 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	अनिर्णीत	
3.	पैरा- 5 (क)	अनिर्णीत	
4.	पैरा- 5 (ख)	अनिर्णीत	
5.	पैरा- 6	अनिर्णीत	

6.	पैरा- 7	अनिर्णीत	
7.	पैरा- 8	अनिर्णीत	
8.	पैरा- 9	अनिर्णीत	
9.	पैरा- 10	अनिर्णीत	
10.	पैरा- 11	अनिर्णीत	
11.	पैरा- 12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11.1 में पुन: प्रारूपित।
12.	पैरा- 13	अनिर्णीत	
13.	पैरा- 14	अनिर्णीत	
14.	पैरा- 15	अनिर्णीत	
15.	पैरा- 16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ठठ्ल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पंकज भरारिया अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.06.2025 से 09.06.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त

पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ठठ्ल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5400** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2025 दिनांक 09/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत ठठ्ल द्वारा यूको बैंक ठठ्ल के बैंक ड्राफ्ट संख्या 004710 दिनांक 19/06/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत ठठ्ल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3181239.02	4353606	7534845.02	3640998.04	3893846.98

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ठठ्ल के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹255** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	3893846.98
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**3877441.98**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	16150.00
4)	**योग (2+3)**	**3893591.98**
5)	**अन्तर (1-4)**	**255.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि 255 रूपये का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹255** का अन्तर पाया गया । अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23/2025 दिनांक 05/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	**2**	**3**	**4**	**5**
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	3893846.98	3893591.98	255

अतः उक्त अन्तर की राशि के कारणों को अभिलेखों से पड़ताल कर आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

4.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में राशि ₹3.81 लाख की अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रत: में प्रविष्टि की जाएगी व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई जाएंगी |

अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही के चयनित माह 03/25 में राशि **₹310757** की आय पक्ष व **₹70109** की भुगतान पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज की गई थी, जिसका विवरण **निम्न तालिका** अनुसार है, जिसके समर्थन में कोई बिल / समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पासबुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित / असमर्थित प्रतीत होती हैं :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**रोकड़ बही अनुसार प्राप्ति / भुगतान का विवरण**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	OWN/2024-25/R/21	19.03.2025	विवरण दर्ज नहीं है		50000	उक्त राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी, जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाई गई	
2	OWN/2024-25/R/25	19.03.2025	यथोपरि	135002	यथोपरि
3	OWN/2024-25/R/27	19.03.2025	यथोपरि	78000	यथोपरि
4	OWN/2024-25/R/30	30.03.2025	यथोपरि	47755	यथोपरि
5	OWN/2024-25/P/8	19.03.2025	यथोपरि	16610	उक्त राशि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज की गई थी, जिसकी डेबिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाई गई	
6	5THSFC/2024-25/P/6	30.03.2025	यथोपरि	53499	यथोपरि
			योग	**380866**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28/2025 दिनांक 09/06/2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 04.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटी स्वीकार करते हुए बताया गया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की गई थी, जबकि वास्तव में उक्त राशि की प्राप्ति / भुगतान नहीं किया गया है | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बही की विस्तृत जाँच की जाए व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.4 स्व: स्त्रोत निधि के लिए अलग से खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-50 दिनांक 09/06/2025द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹38.94 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया

जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3893846.98** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP Thathal-50 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना में अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP Thathal-50 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के

कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP Thathal-50 दिनांक 09/06/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹17140 (परिशिष्ट "ख" अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	54650	43950	98600	81460	17140

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.05 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "घ" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹5400** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	5400

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। विवाह पंजीकरण शुल्क ₹5400 की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹200 को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹200 सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25/2025 दिनांक 06/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा दिनांक 31/03/2025 को निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2025 दिनांक 09/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	**मास**	**हस्तगत राशि ₹**
1.	04/2024 से 02/2025	16350
2.	03/2025	16150

8 गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से ₹0.28 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों अनुसार गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹27760** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹27760** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27/2025 दिनांक 09/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹27760** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	रसीद संख्या	गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)	कम दर्ज की गई राशि (₹)
1	58783, 58917 से 59000, 58801 से 58900, 59101 से 59200, 59301 से 59400, 59901 से 59900, 59401 से 59490, 59001 से 59100, 59201 से 59300 03/2025	81760	54000	27760
			योग	**27760**

गृहकर/विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि ₹27760.00 रोकड़ बही में कम दर्शाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर अंकेक्षण को अवगत करवाया सुनिश्चित करें।

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.85 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा चयनित माह 03/25 में **निम्न विवरणानुसार** कुल **₹285326** की सामग्री में से **₹207326** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹78000** (285326-207326) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2025 दिनांक 09/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाना अपेक्षित है। अत: भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	OWN	Own/2024-25/P/10	27-28 25.12.24	Bali Electrical	Electric material	7346	

				works Thathal			
2	OWN	Own/2024 -25/P/12	447 ---	Sanjay Book Store amb	Stationery	6355	
3	OWN	Own/2024 -25/P/13	007 to 009 13.02.25	M/s Dhiman Aluminium Work & PVC Work Heera Nagar amb	PVC Sheet	135002	
4	OWN	Own/2024 -25/P/14	T1-487 13.02.25	Swastik Electicals Amb	Electric material	12169	
5	OWN	Own/2024 -25/P/6	325 10.11.24	Vicky Kumar	Repair of Chairs	10200	
6	OWN	Own/2024 -25/P/4	558-559 21.10.24, 28.09.24	A-One Tent house chaksarai	Rent of tent	7250	
7	OWN	Own/2024 -25/P/19	30 29.03.25	Bali Electrical works Thathal	Electric material	3264	
8	OWN	Own/2024 -25/P/21	1937, 1997 29.03.25	New SD Computer System Bhaira	Computer Accessorie s	5250	
9	OWN	Own/2024 -25/P/15	T1-493 18.02.25	Swastik Electicals Amb	Solar lights repair	78000	मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था।
10	OWN	Own/2024 -25/P/5	शून्य	शाम लाल टी-स्टाल ठठल	चायपान	7470	उचित बिल प्राप्त न करके कोरे

							कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था।
11	OWN	Own/2024-25/P/16	शून्य	सतीश टी-स्टाल ठठल	चायपान	13020	यथोपरि
					योग	**285326**	

9.2 ₹0.75 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **₹75384** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31/2025 दिनांक 09/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	भुगतान राशि(18% GST सहित)
1	VKVNY	1464	18.08.2024	3000 टाईल / पेवर @ 14.66 प्रति पेवर	43980
2	VKVNY	1088	30.05.2023	2900 टाईल / पेवर @ 13.57 प्रति पेवर	31404
				योग	**75384**

9.3 ₹0.51 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹50994** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2025 दिनांक 09/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	OWN	Own/20	27-28	Bali	Electric	7346

		24-25/P/10	25.12.24	Electrical works Thathal	material	
2	OWN	Own/2024-25/P/12	447 ---	Sanjay Book Store amb	Stationery	6355
3	OWN	Own/2024-25/P/14	T1-487 13.02.25	Swastik Electicals Amb	Electric material	12169
4	OWN	Own/2024-25/P/7	315 30.12.24	M/S Pandit Trading co. Chururu	Steel	16610
5	OWN	Own/2024-25/P/19	30 29.03.25	Bali Electrical works Thathal	Electric material	3264
6	OWN	Own/2024-25/P/21	1987, 1997 29.03.25	New SD Computer System Bhaira	Computer Accessories	5250
					योग	**50994**

9.4 पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2009 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थति नहीं देता तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा | अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/25 के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गये मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **निम्न प्रकरणों** में निर्वाचित सदस्यों को **₹3750** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या व दिनांक**	**वार्ड सदस्य का नाम**	**मानदेय अवधि**	**भुगतान राशि (₹)**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**अधिक भुगतान राशि (₹)**	**विवरण**
1	5THSFC/2024-25/P/1	गुरदेव चन्द	01.10.2024 से	4500	3000	1500	उक्त अवधि में कुल 6 मासिक

	19.03.2025		31.12.2024				बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्री गुरदेव चन्द दिनांक 10.10.24 व 10.12.2024 को अनुपस्थित था। कुल अनुपस्थितियां = 2 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×2= 1500**
2	यथोपरि	श्रीमती सुनीता देवी	यथोपरि	4500	3750	750	उक्त अवधि में कुल 6 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्रीमती सुनीता देवी दिनांक 10.12.2024 को अनुपस्थित थी। कुल अनुपस्थितियां = 1 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×1= 750**
3	यथोपरि	श्री नरेश कुमार	यथोपरि	4500	3750	750	उक्त अवधि में कुल 6 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्री नरेश कुमार दिनांक 10.10.24 को अनुपस्थित था। कुल अनुपस्थितियां = 1 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान = 750×1= 750**
4	5THSFC/2024-	श्री नरेश	01.07.2024	2250	1500	750	उक्त अवधि में

	25/P/2 19.03.2025	कुमार	से 30.09.2024				कुल 6 मासिक बैठकें संचालित की गई, जिसमें श्री नरेश कुमार दिनांक 10.07.24, 25.07.24, 12.08.24 व 10.09.24 को अनुपस्थित था। कुल अनुपस्थितियां = 4 मासिक बैठक दर = 750 प्रति बैठक **अधिक भुगतान (केवल एक मीटिंग हेतु) = 750×1= 750**
					योग	**3750**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29/2025 दिनांक 09/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹3750** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अत: बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने के कारण स्पष्ट किए जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ₹3.60 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न वर्णित** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹359519** का भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि

प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30/2025 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	15^{TH} FC	03/25	RENOVSTION OF WELL WARD NO. 4	101229 (19.01.25 TO 30.01.25)	मजदूरी	24224	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
2	15^{TH} FC	03/25	RENOVSTION OF WELL ABADI BALIYAN WARD NO 5	101230 (19.12.24 TO 30.12.24)	मजदूरी	24224	यथोपरि
3	VKVNY	03/25	RASTA AND EDGE WALL SANJEEV KUMAR, SURESH KUMAR	1464 18.08.2024	पेवर / ब्लॉक्स	43980	प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
4	VKVNY	03/25	RASTA FROM HARIJAN BASTI TO	101275 (09.08.24 TO 19.08.24)	मजदूरी	31372	यथोपरि

			SHAMSHAN GHAT WARD NO 1				
5	VKVNY	03/25	c/o Rasta with Edge wall From LR to Sanjeev kumar	101276 (20.08.24 TO 31.08.24)	मजदूरी	24624	यथोपरि
6	VKVNY	03/25	C/O Pucca Path from Harijana basti to shamshan ghat ward no 1	1088 30.05.23	पेवर / ब्लॉक्स	31404	यथोपरि
7	OWN	03/25	UP GRADATION OF PANCHAYAT GHAR	007 to 009 , T1-487 13.02.25	PVC sheets, electric material	147171	प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8	OWN	03/25	Completion of Shamshanghat ward no 6,7	101277 (01.09.24 TO 10.09.24)	मजदूरी	32520	यथोपरि
					योग	**359519**	

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19/2025 दिनांक 06/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-51 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48

11.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 20 नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिव प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पं वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंके

34/2025 दिनांक 09/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP Thathal-52 दिनांक 09/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।

क्र० सं०	**शीर्ष का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**सामग्री का नाम**	**राशि**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	447, ---	Stationery	6355
2	यथोपरि	T1-487, 13.02.25	Electric material	12169
3	यथोपरि	315, 30.12.24	Steel	16610
4	यथोपरि	30, 29.03.25	Electric material	3264
5	यथोपरि	1937, 1997, 29.03.25	Computer Accessories	5250

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2025 दिनांक 05/06/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP Thathal-50 दिनांक 09/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) ... नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन ...क्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही ...पालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

...का:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्षः-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4824 24 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)29/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ठठल, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत ठठल, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3181239.02	4353606	7534845.02	3640998.04	3893846.98

Secretary
Gram Panchayat Thathar
Dev Block Amb
Distt Una (H.P.)

ग्राम पंचायत ठठल, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3181239.02	3000982	6182221.02	2288374.04	3893846.98

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1621667.73	895130	2516797.73	1095904	1420893.73

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1559571.29	2105852	3665423.29	1192470.04	2472953.25

Secretary
Gram Panchyat Thatha
Dev. Block Amb
Distt. Una (H.P.)

25

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1352624	1352624	1352624	0

Secretary
Gram Panchyat Thatna
Dev Block Amt
Dist ...

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	3893846.98
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3877441.98**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	16150.00
4)	**योग (2+3)**	**3893591.98**
5)	**अन्तर (1-4)**	**255.00**

Secretary, Gram Panchayat Thatha,
Dev Block
Distt Un

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	UCO Bank Thathal (Own)	15060100000131	161232.53
	KCCB thathal (Own & GIA)	20009003435	1235652.20
	HDFC AMB (15TH FC)	50100339393328	2471953.25
	KCCB thathal (IAY)	20009003694	8604.00
		योग	**3877441.98**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	16150.00
		योग (1+2)	**3893591.98**

...wat Thathal
...mb
Dev...
Distt Una (H.P)

कार्यालय :- ग्राम पंचायत सामुदायिक केन्द्र ठठल

विकास खंड अम्ब जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7 में संदर्भित

दिनांक 01.04.2024 से 31.03-2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2024-25	54650	43950	98600	81460	17140

परिशिष्ट "ग"   पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

List of outstanding Shop Rent period 04/2024 to 03/2025 in r/o Gram Panchayat- Thathal

Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
1	1	BSNL	0	25289	25289	25289	0
		Total	**0**	**25289**	**25289**	**25289**	**0**

नोटः- दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराए की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार नहीं किया गया था | इसके अतिरिक्त माह 02/25 में उक्त दुकान खाली कर दी गई है | वर्तमान में उक्त दुकान खाली है

Secretary
Gram Panchyat Thathal
Dev. Block Amb
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट ८ग   पैरा संख्या 7.3 व 7.4 के सन्दर्भ में

कार्यालय :- ग्राम पंचायत सामुदायिक केन्द्र ठठल
विकास खंड अम्ब जिला ऊना (हि० प्र०)

अवधि 01/04/2024 से 3/03/2025 तक विवाह पंजीकरण से वसूल की गई राशि का व्योरा :-

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूली गई राशि
01	सुनील कुमार S/O स्व० श्री मदन लाल गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	29/03/2024	10/04/2024	-	200	0	200
02	मिहिर शर्मा S/O श्री महेश राम गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	14/07/2024	28/07/2024	-	200	0	200
03	नबजोत शर्मा गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	07/10/2024	16/10/2024	-	200	0	200
04	दर्शन कुमार गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	06/10/2024	16/10/2024	-	200	0	200
05	मनीष कुमार S/O स्व० श्री करतार चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	11/08/2024	30/10/2024	-	400	0	400
06	रोबिन धनोिटया S/O श्री विजय कुमार गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	09/10/2024	30/10/2024	-	200	0	200
07	नितीश कुमार S/O श्री नरेश कुमार गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	12/10/2024	04/11/2024	-	200	0	200

Secretary
Gram Panchyat Thathal
Dev. Block Amb
Distt. Una (H.P.)

08	हरीश S/O श्री कश्मीर चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	17/11/2024	26/11/2024	-	200	0	200
09	शिवम ठाकुर S/O जसवीर सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	22/11/2024	29/11/2024	58784	200	200	00
10	अमनदीप जसवाल S/O रमन जसवाल गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	22/11/2024	03/12/2024	-	200	0	200
11	विपन कुमार S/चरण दास गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	08/11/2024	08/12/2024	-	200	0	200
12	रवि दत्त S/ विधि चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	11/12/2024	26/12/2024	-	200	0	200
13	विजय कुमार S/ गुरवचन सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	11/12/2024	30/12/2024	-	200	0	200
14	पंकज S/ तारा चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	21/01/2025	03/02/2025	-	200	0	200
15	पवन कुमार S/ हरदयाल सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	24/01/2025	04/02/2025	-	200	0	200
16	राहुल S/ रघुवीर चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	14/02/2025	17/02/2025	-	200	0	200
17	अरुण कुमार S/ जसपाल सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	07/02/2025	21/02/2025	-	200	0	200

Secretary
Gram Panchyat Thathal
Dev. Block Amb
Distt. Una (H.P.)

18	अभिनन्दन शर्मा S/ संजय शर्मा गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	21/01/2025	21/02/2025	-	200	0	200
19	अशोक कुमार S/ रमेश चन्द गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	07/02/2025	21/02/2025	-	200	0	200
20	रोहित कुमार S/ सुरिन्दर कुमार गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	18/02/2025	28/02/2025	-	200	0	200
21	अशोक कुमार S/ रुलिया राम गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	18/02/2025	07/03/2025	-	200	0	200
22	अंकुश चौधरी S/ कुलदीप गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	18/02/2025	10/03/2025	-	200	0	200
23	शशि कुमार S/ जीवन लाल गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	06/03/2025	12/03/2025	-	200	0	200
24	नरेश कुमार S/ स्वर्ण सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	07/03/2025	15/03/2025	-	200	0	200
25	रविन्द्र कुमार S/ संतोख सिंह गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	03/03/2025	19/03/2025	-	200	0	200
26	हनीफ मोहम्मद S/ मुख्तार खान गांव व डाकघर ठठल तहसील अम्ब जिला उन्ना(हि०प्र०)	20/01/2025	19/03/2025	-	400	0	400
			कुल योग		**5600**	200	**5400**